यह निरीक्षण प्रतिवेदन **चिकित्सा अधीक्षक, जी॰ बी॰ पन्त चिकित्सालय, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **चिकित्सा अधीक्षक, जी॰ बी॰ पन्त चिकित्सालय, नैनीताल** के माह 02/2017 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री खुशीराम नौटियाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) एवं श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26-02-2019 से 01-03-2019 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दया शंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03.02.2017 से 07.02.2017 तक श्री डी॰ एन॰मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 01/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2017 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **चिकित्सा अधीक्षक, जी॰ बी॰ पन्त चिकित्सालय, नैनीताल** का मुख्य कार्यकलाप नैनीताल जनपद के लोगों को आकस्मिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाती हैं।

(ब) **चिकित्सा अधीक्षक, जी॰ बी॰ पन्त चिकित्सालय, नैनीताल** एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र समस्त नैनीताल है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-) (समर्पण)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16			219.62	201.32				18.30
2016-17	----	----	237.40	210.35				27.05
2017-18	----	----	223.68	222.26				1.42
2018-19 (upto 01/2019)			245.44	196.62				--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

योजना का नाम	**वर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
एनएचएम	2015-16	3.04	8.27	6.61		4.7
एनएचएम	2016-17	4.70	6.94	6.30		5.34
एनएचएम	2017-18	5.34	5.39	5.99		4.74
एनएचएम	2018-19 (up to 01/2018)	4.74	3.25	1.19		--

(ii) इकाई को बजट कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून, एवं भारत सरकार से प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. महानिदेशक 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी 4. चिकित्सा अधीक्षक

2. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **चिकित्सा अधीक्षक, जी॰ बी॰ पन्त चिकित्सालय, नैनीताल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **चिकित्सा अधीक्षक, जी॰ बी॰ पन्त चिकित्सालय, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2017 एवं 07/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।
3. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर- 01 : धनराशि रु0 1.85 लाख के निष्प्रयोज्य उपकरण/सामाग्री एवं एक निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी नहीं किये जाने के कारण मूल्य मे निरन्तर ह्रास होना।

Physical verification of Fixed Assets Rule 213 (1) : A physical verification of all the fixed assets should be undertaken at least once in a year and the outcome of the verification recorded in the corresponding register. Discrepancies, if any, should be recorded in the stock register for appropriate action by the competent authority.

GFR rule 2018- (ii) For surplus or obsolete or unserviceable goods with residual value less than Rupees Two Lakh, the mode of disposal will be determined by the competent authority, keeping in view the necessity to avoid accumulation of such goods and consequential blockage of space and, also, deterioration in value of goods to be disposed of. Ministries/ Departments should, as far as possible prepare a list of such goods.

तथा वाहन हेतु उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 94/परी0/2003, दिनांक- 07 मई 2003 के अनुसार निष्प्रयोज्य वाहनों के सम्बन्ध मे निर्देशित है कि

(i) निर्धारित न्यूनतम नीलामी मूल्य को आरक्षित न्यूनतम नीलामी मूल्य रखा जाएगा एवं नीलामी समिति द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि वाहन कम से कम न्यूनतम आरक्षित मूल्य पर ही नीलाम किया जाय।

(ii) यदि स्थानीय समाचार पत्रों मे व्यापक प्रचार प्रसार के बाद भी न्यूनतम नीलामी मूल्य पर वाहनों की नीलामी सम्भव न हो और यदि नीलामी समिति यह उचित समझे कि प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन की भौतिक स्थिति एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत उचित है तथा पुनः व्यापक प्रचार प्रसार के उपरांत भी अधिक मूल्य प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है तो समिति वाहन की वर्तमान भौतिक दशा एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत नीलामी मे प्राप्त अधिकतम मूल्य पर वाहन नीलाम कर सकती है। ऐसा करने कि स्थिति मे नीलामी समिति द्वारा सुस्पष्ट लिखित आदेश जिसमे व्यापक प्रचार प्रसार के लिए किए गए प्रयासों के भी उल्लेख हो, द्वारा वाहन नीलामी के आदेश जारी करने होंगे। तथा पत्र संख्या 3087/टी/30-4-38/90, दिनांक 27 अगस्त 1992 के अनुसार

(i) विभागीय अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे गाड़ियों के निष्प्रयोज्य होने के तुरन्त बाद उसकी नीलामी सुनिश्चित करें और प्रत्येक दशा मे 06 माह के अन्दर उसकी नीलामी अवश्य कर दें।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, जी0बी0 पन्त चिकित्सालय, नैनीताल के अवधि 02/2017 से 01/2019 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे निष्प्रयोज्य सामाग्री से संबन्धित नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि वर्ष 1998 से 2015 तक विभिन्न वर्षों मे लगभग 36 उपकरण/समग्रियाँ धनराशि रु0 144820/- के निष्प्रयोज्य / अप्रयुक्त पड़े हुये थे, जो मरम्मत योग्य नहीं थे। अप्रयुक्त उपकरण/ सामग्रियों को वर्ष 2014 से 2018 तक विभिन्न वर्षों मे निष्प्रयोज्य घोषित किया गया था। परन्तु वर्तमान (02/2019) तक नीलामी नहीं की गयी थी।

इसके अलावा वर्ष 2010 से धनराशि **रु0 40000/-** मूल्य का एक वाहन (जिप्सी एम्बुलेन्स-UP32A-3122) से आफ-रोड/निष्प्रयोज्य पड़ा हुआ था, जो मरम्मत योग्य नहीं था। जिसका न्यूनतम मूल्य का निर्धारण परिवहन आयुक्त के परामर्श से कराया गया था। परन्तु वाहन की वर्तमान (02/2019) तक नीलामी नहीं की गयी थी।

जी0एफ़0आर0 के उक्त नियमानुसार Ministry/Department लिए स्पष्ट निर्देशित था कि भण्डार का प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापन किया जाना था तथा दो लाख से कम के निष्प्रयोज्य सामग्रियों / उपकरण को प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से निष्प्रयोज्य सामाग्री की सूची बनाकर नियमानुसार नीलामी की जानी थी। जिससे कार्यालय मे अनावश्यक accumulation, blockage of space एवं सामग्रियों के मूल्य ह्रास से भी बचा जाए। इस प्रकार का इकाई के द्वारा कोई भी प्रयास लेखापरीक्षा मे नहीं पाया गया था।

इसके अलावा 01 वाहन इतने लम्बी अवधि से निष्प्रयोज्य था, जिसका परिवहन आयुक्त के द्वारा न्यूनतम मूल्य का निर्धारण वर्ष 2014 मे किया गया था परंतु वर्तमान (02/2019) तक नीलामी नहीं की गयी थी। नियमानुसार न्यूनतम मूल्य का निर्धारण के पश्चात प्रत्येक दशा मे 06 माह के अन्दर नीलामी की जानी चाहिये थी। वाहन के लिए यह भी निर्देशित था कि यदि स्थानीय समाचार पत्रों मे व्यापक प्रचार प्रसार के बाद भी न्यूनतम नीलामी मूल्य पर वाहनों की नीलामी सम्भव न हो और यदि नीलामी समिति यह उचित समझे कि प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन की भौतिक स्थिति एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत उचित है तथा पुनः व्यापक प्रचार प्रसार के उपरान्त भी अधिक मूल्य प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है तो समिति वाहन की वर्तमान भौतिक दशा एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत नीलामी मे प्राप्त अधिकतम मूल्य पर वाहन नीलाम कर सकती थी।

इस प्रकार इकाई के द्वारा धनराशि रु0 1.85 लाख मूल्य के निष्प्रयोज्य उपकरण/सामग्रियों तथा वाहन की नीलामी हेतु नियमानुसार प्रयास नहीं किए गए थे, परिणाम वास्तविक मूल्य का दिन प्रति दिन ह्रास हो रहा था। जिसके कारण शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व की अप्रत्यक्ष हानि थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये स्वीकार किया कि उपरोक्त सामाग्री एवं वाहन मरम्मत योग्य नहीं है, निष्प्रयोज्य सामग्रियों एवं वाहन की नीलामी समिति बनाकर शीघ्र नीलामी कर दी जाएगी तथा लेखापरीक्षा आपत्ति का अनुपालन किया जाएगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, चूंकि समय रहते निष्प्रयोज्य सामग्रियों एवं वाहन की नीलामी नहीं की गयी थी।

अत: धनराशि रु0 1.85 लाख के निष्प्रयोज्य उपकरण/सामाग्री एवं एक निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी नहीं किये जाने के कारण मूल्य मे निरन्तर ह्रास होने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:-1 चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्रभाव एवं बिना स्वीकृत पद के सापेक्ष तैनात चिकित्सको पर धनराशि रु 6.39 लाख का अलाभकारी व्यय।

चिकित्सा अधीक्षक, जी॰ बी॰ पंत चिकित्सालय, नैनीताल, इकाई का मूल कार्य चिकित्सालय मे आए समस्त रोगियों को प्राथमिक एवं द्वितीय स्तर की चिकित्सा सुविधा प्रदान कराना, चिकित्सा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का अनुश्रवन एवं मूल्यांकन करना है। जनपद नैनीताल मे शय्या-युक्त चिकित्सालय स्थापित है। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक संसाधनों (यथा आवश्यकतानुसार चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा प्रशासनिक कर्मचारियों की तैनाती, स्वास्थ संस्थान की आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय उपकरण एवं संयंत्र तथा उसके संचालन के लिए तकनीशियन की तैनाती आवश्यक होती है) की आवश्यकता होती है, बिना आवश्यक संसाधनों के चिकित्सा सेवा पर दुष्प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, जी०बी० पन्त चिकित्सालय, नैनीताल, के लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि चिकित्सालय हेतु विभिन्न संवर्ग के 50 पद स्वीकृत थे जिसके सापेक्ष 28 पदों पर तैनाती थी तथा 23 पद रिक्त थे, तथा कनिष्ठ सहायक पद पर 01 कर्मचारी बिना स्वीकृत के तैनात था।

आगे जांच मे पाया गया कि चिकित्सालय मे 2 पद सर्जन के स्वीकृत थे, जिसके सापेक्ष वर्तमान मे कोई भी सर्जन कार्यरत नहीं था। जून 2018 से सर्जन का पद रिक्त होने से चिकित्सालय मे भर्ती होने वाले मरीजो की संख्या मे भारी कमी आई। चिकित्सालय मे चिकित्साधिकारियों के पद स्वीकृत न होते हुये भी सर्जन के पद के सापेक्ष 02 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की गयी जिससे न तो OPD मे मरीजो की संख्या मे वृद्धि हुई और न ही भर्ती हुये मरीज़ो की संख्या मे वृद्धि हुई ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि चिकित्सा अधीक्षक, जी॰ बी॰ पंत चिकित्सालय, नैनीताल कार्यालय मे चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्राशासनिक स्टाफ के पद रिक्त थे, स्वीकृत 50 पदो के सापेक्ष 28 पदो पर तैनाती हुई थी और 23 पद (46.00%) रिक्त थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि सर्जन के पद रिक्त होने के कारण मरीजो को अन्यत्र भेजा जाता है।

अतः चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्रभाव एवं बिना स्वीकृत पद के सापेक्ष तैनात चिकित्सको पर धनराशि रु 6.39 लाख का अलाभकारी व्यय का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
151/ 2016-17	-	1,2,3,4	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
	----------	अप्रस्तुत --------		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **चिकित्सा अधीक्षक, जी॰ बी॰ पन्त चिकित्सालय, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या ।

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	डा॰ मोनिका खर्कवाल	चिकित्सा अधीक्षक	20.11.14 से 08.03.17
2	डा॰ पवन द्विवेदी	चिकित्सा अधीक्षक	09.03.17 से 19.06.17
3	डा॰ एल॰एल॰ मेहता	चिकित्सा अधीक्षक	20.06.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **चिकित्सा अधीक्षक, जी॰ बी॰ पन्त चिकित्सालय, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.